

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही विवरण | नम्बर अहक हुकम में ज |
|------------|--|-------------------------------|
| 9/12/19 | <p>समग्र चाहे हैं। मिसल वास्ते बहस दिनांक 9.12.19 को पेश हो। ✓</p> <p>वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कबल करते हुए सुद्ध करने का अग्रगण्य चाहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार के जपट जांच रिपोर्ट के अनुसार विनाशित कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम विरासतन नामांतरकरण के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा जपट कुसीनामा व उसकी की गई जांच के आचार पर दर्ज किया जाता है व सशम अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत दर्ज हुआ है जिसमें चारा 136 वू राजस्व अधिकारियों के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं तथा वू राजस्व अधिकारियों की चारा 136 के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पौखणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी चाहे गये अग्रगण्य के लिए अन्तः कार्यालयी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र संचारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खासियत किया जाता है। मिसल फंसल शुमार हो कर दायित्व स्फुट हो। ✓</p> | |
| | <p>उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चुरू)</p> | |